न्यायालय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–02)केकड़ी
राष्ट्रीय लोक अदालत–2022 मुकाम भिनाय
प्रकरण सं. / प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 90 / 2022

1. मधुबाला पुत्री श्री राधेश्याम जाति ढोली निवासी बड़गांव(सुरखण्ड) तहसील भिनाय अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजेन्द्रकुमार पुत्र रामनारायण जाति ढोली निवासी बड़गांव(सुरखण्ड) तहसील भिनाय अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– गजानन्द सिंह रावत
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक– 12.11.2022

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा बड़गांव पटवार क्षेत्र बड़गांव भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 815 में दर्ज ख0न. 3229/3156 रकबा 0.55 कुल किता 01 कुल रकबा 0.55 हैं0** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं0 01 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 02 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 01 को जारी नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा पत्रावली में उपस्थित होकर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी की जाने बाबत् अपनी अनापत्ति प्रकट की। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर–2022 के तहत पेश हुआ। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में वर्णित कथनों को दोहराते हुए, प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा कथन किये गये कि, प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर **3229/3156 रकबा 0.55 कुल किता 01 कुल रकबा 0.55 हैं0** में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में रीट पीटिशन संख्या 9213/2022 उनवानी खलील वगै0 बनाम शहाबुद्दीन वगै0 विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा आगामी आदेश तक स्थगन आदेश पारित किया गया है। पैरोकार सरकार द्वारा आगे कथन किये गये कि प्रश्नगत आराजी में वर्तमान में खलील पुत्र करीब खान तथा जलील पुत्र करीब खान जाति मुस्लमान का कब्जाकाश्त है। वकील प्रार्थी द्वारा लोक अदालत की भावना

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner

के तहत सन्दर्भित प्रकरण का माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन होने तथा स्थगन आदेश पारित होना स्वीकार किया गया। उपस्थित बैंच द्वारा पत्रावली में वर्णित तथ्यों तथा राजस्व रिकॉर्ड बाबत् संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम बड़गांव(सुरखण्ड), जवाब पैरोकार सरकार मय संलग्न दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड बाबत् संलग्न राजस्व जमाबन्दी, वकील प्रार्थी–पैरोकार सरकार के तर्कों, जवाब एवं दस्तावेजों के अवलोकन और मनन उपरान्त बैंच सदस्यों द्वारा प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम अनुतोष योग्य ना होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11..2022 को बैंच सदस्यों द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास लोक अदालत में सुनाया गया।

Maryada

(मर्यादा शर्मा)
अध्यक्ष
रा0 लोक अदालत

अध्यक्ष
लोक अदालत बैंच–
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

(प्रभात त्रिपाठी)
सदस्य
रा0 लोक अदालत

Scanned with CamScanner